UPJB120085242016

न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर, अमरोहा।

पीठासीन अधिकारी – रश्मि सिंह–II – (उ०प्र० न्यायिक सेवा)

J.O. Code–UP4602

मुकदमा संख्या – 763/2021

मुकदमा अपराध संख्या– 363/2004

धारा– 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना – आदमपुर, जिला – अमरोहा।

सरकारः
राज्य सरकार,
द्वारा पुलिस थाना–आदमपुर, जिला अमरोहा।

.... अभियोजन।

बनाम

1. **रमेश पुत्र मानसिंह**
2. **सीताराम पुत्र मानसिंह**
3. **हरीओम पुत्र मानसिंह**
4. **राजपाल पुत्र मानसिंह**

निवासीगण ग्राम डबका, थाना आदमपुर, जनपद अमरोहा।

.... अभियुक्तगण

विद्वान अधिवक्ता बचाव पक्ष के लिएः– श्री मुकुल गुप्ता

प्रकरण से संबंधित विवरण संक्षेप में

वाद मेमो–

सूचनाकर्ता	**सोमपाल (वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता)**
राज्य की ओर से उपस्थित अधिवक्ता	विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी
घटना दिनांक	**08.07.2004 समय 06:00 बजे**
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने की दिनांक	08.07.2004
आरोप पत्र प्रेषण दिनांक	18.11.2004
संज्ञान लिये जाने का दिनांक	18.11.2004
आरोप विरचित करने का दिनांक	12.08.2008
साक्ष्य अभिलेखन करने का दिनांक	26.09.2018
अंतिम तर्क सुनने एवं निर्णय घोषित करने के लिए प्रकरण आरक्षित करने का दिनांक	19.05.2026

निर्णय घोषित दिनांक	19.05.2026
दण्डादेश यदि कोई हो, पारित करने का दिनांक	19.05.2026– **रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल – दोषमुक्त** (अंतर्गत धारा– 323, 324, 325, 504, 506 भारतीय दण्ड संहिता)
समयावधि	लगभग 22 वर्ष

<u>अभियुक्तगण के संबंध में संक्षिप्त विवरण</u>

क्र.सं.	**नाम अभियुक्तगण**	**व्यवसाय/पद**	**आरोपित अपराध**
1.	रमेश	मजदूरी	धारा – 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
2.	सीताराम	मजदूरी	धारा – 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
3.	हरीओम	मजदूरी	धारा – 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०
4.	राजपाल	मजदूरी	धारा – 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं०

<u>अभियोजन/बचाव/न्यायालयीन साक्षीगण की सूची</u>

साक्षी क्रमांक	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य दिनांक**	**साक्षी का प्रकार चक्षुदर्शी/अनुश्रुत/पीड़ित**	**प्रपत्र**	**प्रदर्श संख्या**
पी०डब्ल्यू०–1	सुक्खन	26.09.2018	गवाह	---	---
पी०डब्ल्यू०–2	विमला	17.03.2026	गवाह	---	---
पी०डब्ल्यू०–3	उर्मिला	17.03.2026	गवाह	---	---
पी०डब्ल्यू०–4	सोमपाल	17.03.2026	गवाह	**तहरीर**	**प्रदर्श क–1**
पी०डब्ल्यू०–5	गोविंदी	31.03.2026	गवाह	---	---
पी०डब्ल्यू०–6	देवीदास	31.03.2026	गवाह	---	---

<u>बचाव पक्ष साक्ष्य</u>

अभियुक्तगण द्वारा सफाई साक्ष्य देने से इंकार किया गया

बयान अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० दिनांक	10.04.2026

<u>निर्णय</u>

1– अभियुक्तगण रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल का विचारण संबंधित थाना आदमपुर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 363/2004 अंतर्गत धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत अपराध के लिए पुलिस थाना आदमपुर, जिला अमरोहा द्वारा प्रेषित आरोप पत्र के आधार पर किया गया।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि सोमपाल पुत्र अजब सिंह ग्राम डबका थाना

आदमपुर का रहने वाला हूँ। बीती रात मेरे घर पर दो आदमी घर पर गये थे। मेरे पिता जी जाग रहे थे। मेरे पिता जी ने टौका तो दोनों आदमी भाग गये थे। आज समय 6 बजे मेरा भाई सुक्खन मेरे भतीजे मनोज को लेकर भूसा निकालने के लिए जंगल में गये थे। वहां पर रमेश, सीताराम, हरीओम, राजपाल मौजूद मिले। मेरे भाई ने रमेश से कहा मेरे घर पर रात दो आदमी गये थे जिन्हें हमने पहचान लिया इसी बात के ऊपर मुल्जिमान रमेश, आदि उपर्युक्त ने सरिया, गड़ासा, लाठियों से मेरे भाई को मारा–पीटा। मेरे भतीजे ने जाकर हम लोगों को घर पर बताया तो मैं देवीदास, रामरतन तथा मेरी मां गोविंदी मौके पर पुहंचे तो हम लोगों को भी मुल्जिमान रमेश, सीताराम, हरीओम पुत्रगण मानसिंह, राजपाल पुत्र मानसिंह ने मारा–पीटा। जिससे देवी का दाहिना हाथ टूट गया। हम लोगों के काफी गम्भीर चोट आयी हैं। फिर मैं अपने घर से बुग्गी जोड़कर उसमें अपने भाईयों को लिटाकर चौकी पर लाये।

3– उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण **रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल** के विरूद्ध धारा 323,324,325,504,506 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत मु०अ०सं०– 363/2004 पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ हुई। मुकदमा थाना आदमपुर, जिला अमरोहा पर दिनांक 08.07.2004 को पंजीकृत हुआ तथा सम्पूर्ण विवेचना के आधार पर **अभियुक्तगण रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल** के विरूद्ध **धारा– 323,324,325,504,506 भा०दं०सं०** के अंतर्गत पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए **आरोप–पत्र** विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किया गया। जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.11.2004 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4– अभियुक्तगण **रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल** न्यायालय उपस्थित आये। अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की वांछित प्रतिलिपियां अन्तर्गत धारा 207 दं०प्र०सं० प्रदान की गयीं तथा अभियुक्तगण ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी–अपनी जमानत करायी। अभियुक्तगण **रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल** के विरूद्ध धारा– 323,324,325,504,506 भा०दं०सं० के अंतर्गत **दिनांक 12.08.2008 को आरोप** विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने अपने विरूद्ध लगाये गये आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की। पत्रावली अभियोजन साक्ष्य हेतु नियत हुई।

5– तत्पश्चात अभियोजन की ओर से **पी०डब्ल्यू०–1** के रूप में **सुक्खन**, **पी०डब्ल्यू०–2** के रूप में **विमला, पी०डब्ल्यू०–3** के रूप में **उर्मिला, पी०डब्ल्यू०–4** के रूप में **सोमपाल, पी०डब्ल्यू०–5** के रूप में **गोविंदी** एवं **पी०डब्ल्यू०–6** के रूप में **देवीदास** को परीक्षित कराया गया है। अभियोजन द्वारा दिनांक 31.03.2026 को अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित कराने हेतु प्रार्थना पत्र सबमिट कर न्यायालय के समक्ष पेश किया। प्रार्थना पत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया गया। तदनुसार उक्त वाद के अन्य साक्षीगण को साक्ष्य से उन्मोचित किया गया। पत्रावली अभियुक्तगण के बयान अंतर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० हेतु नियत की गयी।

6– **अभियुक्तगण रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल** का बयान धारा– 313 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत **दिनांक 10.04.2026** को अभिलिखित किया गया, जिसमें अभियुक्तगण द्वारा आरोप एवं घटना से इन्कार करते हुए मुकदमा को गलत होने, झूठा एवं रंजिशन चलाये जाने का कथन किया गया तथा सफाई साक्ष्य देने से इन्कार किया गया। पत्रावली वास्ते अन्तिम बहस हेतु नियत की गयी।

7– मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण के तर्क सुने एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

8– अभियुक्तगण रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल के विरूद्ध *आरोप अंतर्गत धारा 323,324,325,504,506 भारतीय दण्ड संहिता* के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप है जिसे पूर्ण एवं सन्देह से परे सिद्ध करने का भार अभियोजन पर है।

<u>धारा – 323 भारतीय दण्ड संहिता</u>

9– धारा – 323 भारतीय दण्ड संहिता– ***स्वेच्छया चोट करने के लिए दण्ड–*** *उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया चोट कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास, से जिसकी अवधि एक वर्ष तक हो सकेगी, जा जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डित किया जायेगा।*

<u>धारा – 324 भारतीय दण्ड संहिता</u>

10. धारा – 324 भारतीय दण्ड संहिता– ***खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा स्वेच्छया चोट कारित करना–*** *उस दशा के सिवाय जिसके लिए धारा 334 में उपबन्ध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामक आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाये, तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, या किसी जीव जन्तु द्वारा स्वेच्छया चोट कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।*

<u>धारा – 325 भारतीय दण्ड संहिता</u>

11. धारा – 325 भारतीय दण्ड संहिता– ***स्वेच्छया गम्भीर चोट कारित करने के लिए दण्ड–*** *उस दशा के सिवाय, जिसके लिए धारा 335 में उपबन्ध है, जो कोई स्वेच्छया गम्भीर चोट कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से जिसकी अवधि सात वर्ष तक हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।*

<u>धारा – 504 भारतीय दण्ड संहिता</u>

12– धारा– 504 भारतीय दण्ड संहिता– ***लोक शान्ति भंग करने को प्रकोपित (उत्तेलित) करने के आशय से साशय अपमान–*** *जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और उसके द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से या सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी, अवधि, दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।*

<u>धारा – 506 भारतीय दण्ड संहिता</u>

13– धारा– 506 भारतीय दण्ड संहिता– ***आपराधिक धमकी के लिए दण्ड –*** *जो कोई आपराधिक अभित्रास (धमकी) का अपराध करेगा, वह दोनों में से भाँति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।*

यदि धमकी मृत्यु या गम्भीर चोट इत्यादि कारित करने की हो – *यदि धमकी मृत्यु या गम्भीर चोट करने की या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की या किसी स्त्री पर असतीत्व का लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।*

14– अब विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियोजन पक्ष पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे सिद्ध करने में सफल रहा है

अथवा नहीं ?

15– **साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 सुक्खन ने अपनी मुख्य परीक्षा में सथपथ कथन किया है कि** आज से लगभग चौदह पन्द्रह साल पहले हाजिर अदालत मुल्जिमान रमेश, सीताराम, व राजपाल व मृतक हरिओम ने मेरे व मेरे परिवार के साथ मारपीट करके चोटें नहीं पहुंचायी थी। ना ही कोई गाली–गलौंच की थी। गवाह पक्षद्रोही घोषित।

16– **अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–1 सुक्खन ने कथन किया** गवाह को धारा 161 दं०प्रं०सं० बयान पढ़कर सुनाये गये गवाह ने कहा मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। कैसे लिख लिया इसकी वजह नहीं बता सकता। जंगल में कुछ लोगों से मारपीट हो गयी थी। उसी दौरान मेरे चोटे आ गयी थी। यह कहना सही है कि मेरा समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता हो जाने के कारण मुल्जिमान को बचाने के लिए मैं न्यायालय में सही बात नहीं बता रहा हूँ। और झूठी गवाही दे रहा हूँ।

17– **साक्षी पी०डब्ल्यू०–2 विमला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** आज से लगभग 22 साल पहले की बात है। सुबह के समय मेरा लड़का मनोज व देवर सुक्खन की जंगल में मुल्जिमान रमेश, सीताराम, हरिओम व राजपाल से कहासुनी हुयी थी। इसके बाद उपरोक्त चारों बातचीत करने घर आये थे। आपसी कहासुनी होने लगी। मैं बीच–बचाव करा रही थी। बीच–बचाव कराने के दौरान मेरे मुँह पर चोट लग गयी थी। मुल्जिमान ने मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की थी और न ही धारदार हथियार चलाया था। हमारे साथ कोई गाली–गलौंच नहीं हुयी और न ही जान से मारने की धमकी दी। गवाह पक्षद्रोही घोषित।

18– **अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–2 विमला ने कथन किया** दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। बयान कैसे लिख लिया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुझे चोट बीच–बचाव करते हुए गिरने से आयी थी। मुल्जिमान के हमारा राजीनामा हो गया है। यह कहना गलत है कि आपसी राजीनामा करने के कारण मैं न्यायालय में सही बयान नहीं दे रही हूँ।

19– **साक्षी पी०डब्ल्यू०–3 उर्मिला ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** वर्ष 2004 की बात है। मेरे घर के बाहर मेर पति सुक्खन और भतीजे मनोज की मुल्जिमान रमेश, सीताराम, हरिओम व राजपाल से आपसी कहासुनी हो रही थी। शोर सुनकर मैं भी बीच–बचाव कराने आयी थी। बीच–बचाव के दौरान लड़खड़ाकर गिरने से मेरे पेट में चोट आ गयी थी। उपरोक्त मुल्जिमान द्वारा मेरे साथ कोई मारपीट व गाली–गलौंच नहीं की गयी और न ही धारदार हथियार चलाये गये तथा न ही जान से मारने की धमकी दी। गवाह पक्षद्रोही घोषित।

20– **अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–3 उर्मिला ने कथन किया** दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। बयान उन्होंने कैसे लिख लिया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। मुल्जिमान मेरे पड़ोसी हैं। इनसे हमारा आपसी समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि समझौता करने के कारण मैं सही बयान नहीं दे रही हूँ।

21– **साक्षी पी०डब्ल्यू०–4 सोमपाल ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि** दिनांक 08.07.2004 की बात है। मेरे भाई सुक्खन व भतीजा मनोज की जंगल में मुल्जिमान रमेश, सीताराम, हरिओम व राजपाल से किसी बात पर कहासुनी हुयी थी। मुल्जिमान हमारे घर आये थे। घर के बाहर कहासुनी के दौरान गिरने से मेरे पेट में चोट आयी। मुल्जिमान ने मेरे साथ कोई मारपीट व गाली–गलौंच नहीं की और ना ही धारदार हथियार चलाये थे और न ही जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाबत मैंने थाने पर तहरीर दी थी। तहरीर पर गवाह हस्ताक्षर अंगूठा की पुष्टि की। जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। गवाह पक्षद्रोही घोषित।

22– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–4 सोमपाल ने कथन किया दरोगा जी ने मेरा कोई बयान नहीं लिया था। बयान कैसे लिख दिया मुझे इसकी जानकारी नहीं है। तहरीर मैंने घर वालों के कहने पर दी थी। मैं पढ़ा–लिखा नहीं हूँ। तहरीर किसी ने लिखकर दी थी। तहरीर मुझे पढ़कर नहीं सुनायी गयी। मुल्जिमान मेरे पड़ोसी हैं। इनसे मेरा आपसी समझौता हो गया है। यह कहना गलत है कि आपसी समझौते के कारण मैं न्यायालय में सही बयान नहीं दे रहा हूँ।

23– साक्षी पी०डब्ल्यू०–5 गोविंदी ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि लगभग 22 साल पहले की बात है। मेरे लड़के सोमपाल की जंगल में मुल्जिमान रमेश, सीताराम, हरिओम व राजपाल से कहासुनी हुयी थी। जिसके बाद ये लोग घर आये थे, कहासुनी हुयी थी। मैंने बीच–बचाव किया था। गिरने से मुझे चोट आई थी। मुझे मुल्जिमानों ने न मारा–पीटा था, न तो गाली–गलौंत हुई थी और न ही धारदार हथियार चलाया था। गवाह पक्षद्रोही घोषित।

24– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–5 गोविंदी ने कथन किया गवाह को धारा 161 सीआर०पी०सी० का बयान सुनाया गया। गवाह ने बयान से इंकार किया। कहा कि दरोगा जी ने बयान कैसे लिख लिया मुझे पता नहीं। मेरे साथ कोई मारपीट नहीं हुई और न ही मैंने कोई मारपीट देखी। यह कहना गलत है कि आपसी समझौता होने के कारण आज मैं अदालत में सही बात नहीं बता रही हूँ।

25– साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 देवीदास ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि वर्ष 2004 की बात है, मेरे छोटे भाई सोमपाल की पड़ोस में रहने वाले रमेश, सीताराम, हरिओम व राजपाल से किसी पुरानी बात पर आपस में कहासुनी हो रही थी। मैंने बीच–बचाव कराया था। आपसी बीच–बचाव कराने में मैं गिर गया था। हाथ में चोट लग गयी थी। मुल्जिमान द्वारा मेरे साथ कोई मारपीट व गाली–गलौंच नहीं की गई। ना ही लाठी–डन्डे चलाए गये थे, न ही धारदार हथियार चलाया गया था।

26– अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षा किये जाने पर पी०डब्ल्यू०–6 देवीदास ने कथन किया जब गवाह को धारा 161 सीआर०पी०सी० का बयान सुनाया गया। गवाह ने बयान से इंकार किया। कहा कि दरोगा जी मेरा कोई बयान नहीं लिये थे। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान से मेरा समझौता हो जाने के कारण मैं उनके पक्ष में बयान दे रहा हूँ।

<u>निष्कर्ष</u>

27– अभियोजन साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट होता है कि धारा 323, 324, 325, 504, 506 भा०दं०सं० के अंतर्गत लगाये गये आरोप के समर्थन में अभियोजन पक्ष द्वारा केवल 6 गवाहानों के बयान हीं पत्रावली पर प्रस्तुत किए गये हैं अभियोजन द्वारा परीक्षित साक्षीगण पी०डब्ल्यू०–1 से लेकर साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 तक सभी पक्षद्रोही साक्षी हैं, जिनमें वादी मुकदमा/शिकायतकर्ता भी शामिल है। साक्षी पी०डब्ल्यू०–1 से लेकर साक्षी पी०डब्ल्यू०–6 तक सभी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया बल्कि पूर्ण रूप से खण्डन किया है। अतः उपर्युक्त साक्षीगण के बयानों से अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 323/324/325/504/506 भा०दं०सं० से संबंधित किसी भी धारा से संबंधित अपराध का होना पृथम दृष्टया साबित नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा पत्रावली पर एफ.आई.आर., चार्जशीट, तहरीर तथा केस डायरी उपलब्ध करायी गयी है, जो स्वभावतः सहायक सामग्री है तथा स्वतंत्र साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियोजन को पूरा मामला इन्हीं 6 गवाहानों की मौखिक गवाही पर आधारित है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि इन गवाहानों के बयान आपस में संगत, स्वाभाविक, विश्वास योग्य एवं घटना के सम्बन्ध में निरन्तर एवं सुसंगत हों तथा उनमें कोई भी ऐसा विरोधाभास या असंगति न हो जो अभियोजन के मामले की जड़ पर आघात पहुँचाये।

28– अभियोजन साक्ष्यों के सम्यक परीक्षण से यह स्पष्ट है कि साक्षीगण के उपर्युक्त बयानों के विरोधाभास के आधार पर प्रथमदृष्टया ऐसा माना जा सकता है कि कि अभियोजन साक्षियों द्वारा अभियोजन कथानक का लेशमात्र भी समर्थन नहीं किया गया है। उपर्युक्त साक्षीगण एवं अभियोजन कथानक में गम्भीर विरोधाभास एवं असंगति विदयमान है। उपर्युक्त विरोधाभासों के होते हुए अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य पर पूर्ण विश्वास करना न्यायसंगत नहीं है तथा ये साक्ष्य अकेले प्रकरण को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णतः असमर्थ है। अतः अभियोजन साक्षीगण अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराधों को साबित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं। उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

29– अभियुक्तगण रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल को **मुकदमा संख्या – 763/2021, मुकदमा अपराध संख्या– 363/2004 अन्तर्गत धारा– 323,324,325,504,506 भारतीय दण्ड संहिता** के अपराध के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्तगण **रमेश, सीताराम, हरीओम एवं राजपाल जमानत** पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दाखिल जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनानों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्तगण को निर्देशित किया जाता है कि वह निर्णय के खिलाफ अपील किये जाने पर अपीलीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। अभियुक्तगण द्वारा धारा **437–A दं०प्र०सं० का अनुपालन** किया जा चुका है।

पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक– 19.05.2026

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर,
अमरोहा।
J.O. Code–UP4602

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होने के उपरान्त उदघोषित किया गया।

दिनांक– 19.05.2026

(रश्मि सिंह–II)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, हसनपुर
अमरोहा।
J.O. Code–UP4602